WWW.SARKARIDISHA.COM

(Rajasthan Police Constable Exam Syllabus)

9. भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया–

कॉन्स्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम,1989 के नियम 25 एवं राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियम 28 (3) के प्रावधानानुसार किया जायेगा।

परीक्षा के सभी चरणों के कुल 100 अंक हैं जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी:–

परीक्षा का चरण	कान्स्टेबल सामान्य	कान्स्टेबल चालक
लिखित परीक्षा	75	75
शारीरिक दक्षता परीक्षा	15	10
दक्षता परीक्षा	लागू नहीं	15
विशेष योग्यता (एन.सी.सी., होमगार्ड एवं पुलिस से सम्बन्धित विषयों में डिप्लोमा/उपाधि प्राप्त) प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किये जाने वाले अंक	10	लागू नहीं
अंकों का योग	100	100

10. लिखित परीक्षा–

लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 75 अंकों का जिसमें वस्तुनिष्ठ (objective type)प्रकार के 150 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घन्टे की होगी। प्रत्येक प्रश्न के ½ अंक देय होंगे। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% अंक काटा जायेगा। यह परीक्षा ऑफलाईन तथा ओ.एम.आर. आधारित (offline and OMR based) होगी। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, अंकों का विवरण एवं प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार होगी–

भाग – विषय	प्रश्न	अंक
अ –विवेचना एंव तार्किक योग्यता तथा कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान	60	30
ब –सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर	35	17.5
स– महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे सम्बन्धित कानूनी प्रावधान/नियमों की जानकारी।(इससे सम्बन्धित कुछ जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जायेगी)	10	05
स –राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि	45	22.5
कुल	150	75

इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40 प्रतिशत प्राप्तांक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 36 प्रतिशत प्राप्तांक, समग्र रूप से लाना अनिवार्य है।

ट्राईबल सब–प्लान क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थी एवं बारां जिले के सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक (minimum) सीमा लागू नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों को प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक 75 का सम्बन्धित वर्ग के निर्धारित उत्तीर्णांक का समग्र रूप से 5 प्रतिशत शिथिलन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–5(18) डीओपी/ए–2/84/पार्ट–2 दिनांक 17.04.2018 के बिन्दु संख्या–9 में वर्णित नियम–18 ए(i) के अनुसार देय होगा।

अब Google पर हमेशा SarkariDisha.com टाइप करे